तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस हु... में ...
17.5.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प नहरीपुरा के पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के स्वयं हाजिर आकर लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया जो बाद तसदीक शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक राजीनामा वाद-पत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया जो शामिल रहे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे आदेश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	सतपाल जयपाल आसाराम शारदा सुमन मनीषा

Scanned by CamScanner

(1)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

ईजलासः–सुरेन्द्र सिहं पुरोहित आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः–0139/2014

1. सतपाल |––पिसरान श्री आसाराम, जाति नायक, निवासी चक 32 एसएसडब्ल्यू
2. जयपाल | अराईयांवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––वादीगण––

बनाम

1. आसाराम पुत्री टीकूराम,
2. शारदा |––––पिसरान आसाराम
3. सुमन |
4. मनीषा |

अकवाम नायक, निवासीगण चक 32 एसएसडब्ल्यू अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

5. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––प्रतिवादीगण––

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53 आरटीए</u>

उपस्थितः–श्रीमति शकुन्तला भाटीवाल, अधिवक्ता–वादीगण
प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 17.5.2018

संक्षेप रूप से तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अपने वादपत्र में इस आशय की घोषणा के अनुतोष के साथ अनुतोष चाहा कि चक 2 आर0के0 तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–6/7 के पत्थर नम्बर–96/326 (4) के किला नम्बर–2 ता 9, 12 ता 19, 25/2 कुल 4.275 हैक्टेयर व पत्थर नम्बर–97/326 (5) के किला नम्बर–3, 4, 7 8, 13, 14, 17, 18 कुल 1.974 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर–96/328 (14) किला नम्बर–1 ता 15 कुल 3.795 हैक्टेयर कुल तादादी 10.044 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या–1 के बराबर 2/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दौराने दावा वादी व प्रतिवादीगण का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजस्व अभियान कैम्प सहजीपुरा में दिनांक 17–05–2018 राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत होने पर राजीनामा को तस्दीक किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादी व प्रतिवादीगण का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजस्व अभियान कैम्प सहजीपुरा में दिनांक 17.05.2018 को राजीनामा हो गया। मुताबिक राजीनामा प्रतिवादीगण संख्या–2 से 4 जो वादीगण की सगी बहिनें है तथा उनका नाम राजस्व अभिलेख में बहिस्सा हक है। इस प्रकार सम्पूर्ण खाता में वादीगण का 2/6 व प्रतिवादीगण संख्या–1 से 4 का 4/6 हिस्सा बनता है।

Scanned by CamScanner

इसी अनुसार वादपत्र का निस्तारण करवाना चाहते हैं। वादीगण ने धारा 53 आरटीए का अनुतोष राजीनामा में विड़ा कर लिया है। इस कारण वादीगण का वादपत्र घोषणा की हद तक डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि चक 2 आर0 तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–6/6 प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज भूमि 10.044 हैक्टेयर में वादीगण को 2/6 हिस्सा अर्थात 3.348 हैक्टेयर के बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है तथा शेष कृषि भूमि 6.696 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.5.2018 को मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिहं पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

(6)

डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालतः–सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

सतपाल आदि बनाम आसाराम आदि

दावा बाबत 88 व 53 आर.टी.ए., राजस्व वाद संख्याः–0139–ए/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी मति शकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता–वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आदेश या जाता है कि अतः वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि क 2 आर0 तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–6/6 प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज मि 10.044 हैक्टेयर में वादीगण को 2/6 हिस्सा अर्थात 3.348 हैक्टेयर के बहिस्सा राबर के खातेदार घोषित किये जाते है तथा शेष कृषि भूमि 6.696 हैक्टेयर में तिवादीगण संख्या–1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार ही राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।

.......................X...........लीज.....................X..............................मुबलिग..........X............बातत.......X.....

..............खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..................X..से तारीख

वसुलयाबी..................X.................................

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 17 –05–2018 से जारी की गई।

(हस्ताक्षर)

विवरण पक्षकार

1. सतपाल
2. जयपाल

|–––पिसरान श्री आसाराम, जाति नायक, निवासी चक 32 एसएसडब्ल्यू अराईयांवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––वादीगण––

बनाम

1. आसाराम पुत्री टीकूराम,
2. शारदा |––––पिसरान आसाराम
3. सुमन
4. मनीषा

अकवाम नायक, निवासीगण चक 32 एसएसडब्ल्यू अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

5. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––प्रतिवादीगण––

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner